निवासियों के अधिकारों का विधेयक, दीर्घकालिक देखभाल गृह अधिनियम, 2007 (s. 3(1))

3. (1) एक दीर्घकालिक देखभाल गृह के प्रत्येक लाइसेंसधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निवासियों के निम्नलिखित अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान और प्रचार किया जाए:

1. प्रत्येक निवासी को शिष्टाचार और सम्मान पाने का अधिकार है और उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार में निवासी की व्यक्तिगतता का ध्यान रखा जाना और निवासी की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक निवासी को दुर्व्यवहार से सुरक्षित रहने का अधिकार है।
3. प्रत्येक निवासी को लाइसेंसधारी या कर्मचारियों द्वारा उपेक्षित न किए जाने का अधिकार है।
4. प्रत्येक निवासी को उनकी ज़रूरतों के अनुरूप आश्रय, भरण-पोषण, कपड़ा, अलंकरण और देखभाल पाने का अधिकार है।
5. प्रत्येक निवासी को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है।
6. प्रत्येक निवासी को नागरिक के अधिकारों का इस्तेमाल करने का अधिकार है।
7. प्रत्येक निवासी को यह जानने का अधिकार है कि कौन निवासी की देखभाल के लिए जिम्मेदार है और कौन सीधे तोर से उन्हे देखभाल प्रदान करेगा।
8. प्रत्येक निवासी को व्यवहार में गोपनीयता और उनकी निजी ज़रूरतों के मद्देनज़र देखभाल पाने का अधिकार है।
9. प्रत्येक निवासी को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सम्मान सहित भागीदारी करने का अधिकार है।
10. प्रत्येक निवासी को सुरक्षा आवश्यकताओं और अन्य निवासियों के अधिकारों को ध्यान में रखते
11. प्रत्येक निवासी को निम्न अधिकार हैं,
    1. अपनी देखभाल की योजना के विकास, कार्यान्वयन, समीक्षा और संशोधन में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार,
    2. किसी भी व्यवहार, देखभाल या सेवाओं के लिए सहमति देने या अस्वीकार करने का अधिकार, जिसके लिए कानून द्वारा उनकी सहमति की आवश्यकता होती है और उन्हें सहमति देने या मना करने के परिणामों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए:
    3. अपनी देखभाल के किसी भी पहलू से संबंधित कोई भी निर्णय लेने में पूरी तरह से भाग लेने का अधिकार, जिसमें दीर्घकालिक देखभाल गृह या किसी सुरक्षित इकाई में उनके एडमिशन, बर्खास्तगी या स्थानांतरण सेसंबधित कोई भी निर्णय लेना और उन मामलों में से किसी के संबंध में एक स्वतंत्र राय देना शामिल हैं, और
    4. व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचना संरक्षण अधिनियम, 2004 के अर्थ के भीतर अपनी व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी जुड़े उनके रिकॉर्ड को इस अधिनियम के अनुसार गोपनीय रखने का अधिकार, जिसमें इस अधिनियम के अनुसार उनकी देखभाल की योजना भी शामिल है।
12. प्रत्येक निवासी को स्वतंत्रता को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए एक पुनर्स्थापनात्मक देखभाल दर्शन के आधार पर स्वतंत्रता के साथ देखभाल और सहायता पाने का अधिकार है।
13. प्रत्येक निवासी को किसी के अधीनस्थ नहीं रहने का अधिकार है, केवल इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई सीमित परिस्थितियों को छोड़कर और इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई आवश्यकताओं के अधीन।
14. प्रत्येक निवासी को आत्मविश्वास के साथ संचार करने, अपनी पसंद के आगंतुकों से मिलने और बिना किसी हस्तक्षेप के किसी भी व्यक्ति के साथ निजी परामर्श लेने का अधिकार है।
15. प्रत्येक निवासी जो मर रहा हो या जो बहुत बीमार हो, उसे प्रति दिन 24 घंटे परिवार और दोस्तों के पास उपस्थित होने का अधिकार है।
16. प्रत्येक निवासी को किसी व्यक्ति को किसी भी स्थानान्तरण या निवासी के किसी भी अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित जानकारी दिए जाने के लिए नामित करने का अधिकार है और उस व्यक्ति को तुरंत जानकारी दिए जाने की मांग करने का अधिकार है।
17. प्रत्येक निवासी को निम्नलिखित व्यक्तियों और संगठनों के किसी भी हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार के दबाव, भेदभाव या प्रतिशोध से डरे बिना नीतियों या सेवाओं में अपनी या किसी अन्य की ओर से सवाल उठाने या बदलाव की सिफारिश करने का अधिकार है, चाहे वह निवासी या किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए निर्देशित हो,

i. निवासियों की परिषद,

ii. परिवार परिषद,

iii. लाइसेंसधारी, और, यदि लाइसेंसधारी एक निगम है, तो निगम के निर्देशको और अधिकारी, और, भाग VIII के तहत अनुमोदित घर के मामले में, धारा 132 के तहत घर के प्रबंधन समिति का कोई एक सदस्य या धारा 125 या 129 के तहत घर का प्रबंधन बोर्ड,

iv. कर्मचारी वर्ग,

v. सरकारी अधिकारी,

vi. दीर्घकालिक देखभाल घर के अंदर या बाहर का कोई अन्य व्यक्ति।

18. प्रत्येक निवासी को दोस्ती करने और रिश्ते बनाने और दीर्घकालिक देखभाल घर के जीवन में भाग लेने का अधिकार है।

19. प्रत्येक निवासी को उनके जीवन शैली और पसंद को सम्मान मिलने का अधिकार है।

20. प्रत्येक निवासी को निवासियों की परिषद में भाग लेने का अधिकार है।

21. प्रत्येक निवासी को अपने पति/पत्नी, जीवनसाथी या किसी अन्य व्यक्ति से किसी कमरे में निजी रूप से मिलने का अधिकार है जो गोपनीयता का आश्वासन देता हो।

22. प्रत्येक निवासी को अपनी इच्छा से किसी भी अन्य व्यक्ति साथ कमरा साझा करने का अधिकार है, बशर्ते उचित आवास उपलब्ध हो।

23. प्रत्येक निवासी को यह अधिकार है कि वह सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और अन्य रुचियों का अनुकरण कर सकते है, ताकि वे अपनी क्षमता का विकास कर सकें और उन्हें इन रुचियों का अनुकरण करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा उचित सहायता दी जाए।

24. प्रत्येक निवासी को यह अधिकार है कि उन्हें किसी भी कानून, नियम या नीति को प्रभावित करने वाली सेवाओं और शिकायतें शुरू करने से जुड़ी प्रक्रियाओं के बारे में लिखित रूप से सूचित किया जाए।

25. प्रत्येक निवासी को स्वयं के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार है जब तक कि निवासी के पास ऐसा करने की कानूनी क्षमता का अभाव न हो।

26. प्रत्येक निवासी को बाहरी गतिविधियां करने के लिए संरक्षित बाहरी क्षेत्रों तक पहुँच पाने का अधिकार है, जब तक कि भौतिक परिस्तिथिया यह असंभव नहीं बनाती हैं।

27. प्रत्येक निवासी को किसी भी दोस्त, परिवार के सदस्य या निवासी के लिए महत्व के किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंसधारी या घर के कर्मचारियों के साथ किसी भी बैठक में शामिल होने का अधिकार है। 2007, c. 8, s. 3 (1)।